2

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी हनुमानगढ

न अधिकारीः-(मांगी लाल) RAS
अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.
संख्याः- 494/2025

गुरमीत सिंह पुत्र स्व. सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

-:वादी

बनाम्

गुरदितासिंह पुत्र स्व0 सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
नसीबकौर पत्नी स्व0 सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)
बेअंत कौर पुत्री स्व0 सोहन सिंह पत्नी नाजमसिंह जाति जटसिख निवासी सिहंपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)
सुखजीतकौर पुत्री स्व0 सोहन सिंह पत्नी सरदूल सिंह जाति जटसिख निवासी मोहर सिंह की ढाणी, रेलवे कालोनी, चक 2 एस एस डब्लयु झाम्बर तह0हनुमानगढ
सुखवीरकौर पुत्री स्व0 सोहन सिंह पत्नी गमदूरसिंह जाति जटसिख निवासी मोहरसिंह की ढाणी चक 2 एसएसडब्लयु झाम्बर तह0 हनुमानगढ
तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़
एचडीएफसी बैंक लिमिटेड, शाखा हनुमानगढ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक

-:प्रतिवादीगण

अर्शदीप कौर पुत्री गुरदिता सिंह बउम्र 13 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता लखवीरकौर पत्नी गुरदिता सिंह जाति जटसिख निवासी 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)
अनुर पुत्री गुरदिता सिंह बउम्र 11 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता लखवीरकौर पत्नी गुरदिता सिंह जाति जटसिख निवासी 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:तरतीबी प्रतिवादीगण

स्थित :-

1. श्री रामकुमार कस्वां - अधिवक्ता वादी
2. श्री मदन मूण्ड - अधिवक्ता प्रतिवादी सं. 1 ता 5
3. राज पैरोकार

-:निर्णयः-

दिनांक 29.12.2025

अधिवक्ता वादी द्वारा यह राजस्व वादपत्र अन्तर्गत धारा 88, 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अन्तर्गत प्रस्तुत किया जिसके अनुसार यह है कि वादी व प्रतिवादीगण का प्रमाणित व रजीकृत पता वाद पत्र के शीर्षक में दर्ज अनुसार सही है।

यह है कि तहसील हनुमानगढ के चक 1 एआरडब्लयु जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 60/40 के प0नं0 103/339 (7) किला नं0 1/1/.202, 2/3/.042, 6/1/.231,

3

1, 16/1/.229, पत्थर नं0 104/339 (6) किला नं0 9/1/.231, 10/2/.207, 229, 20/2/ .205, 21/2/.228, 22/.253 कुल 2.288 हैक्टेयर कृषि भूमि वादी व संख्या 1 से 5 के नाम मुश्तरका खाता में दर्ज है व इसी प्रकार तहसील हनुमानगढ के 5 के एसपीके जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 104/91 के पत्थर नं0 33 (21) किला नं0 23, पत्थर नं0 110/334 (30) किला नं0 1 से 4, 5/1/.228, 25, 6/1/.228, 6/2/.025, 7 से 11 कुल 3.036 हैक्टयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी 1 से 5 के नाम से मुश्तरका खाता में दर्ज है तथा इसी प्रकार चक 22 के एस पी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 97/61 के पत्थर नं. 111/334 (26) किला नं0 28, 1/2/.025, 2/1/.228, 2/2/.025, 3/1/.228, 3/2/.025, 4/1/.228, 4/2/. 7 से 10, 11/2/.063, 12/2/.063, 13/3/.063, 14/2/.063, पत्थर नं0 111/336 किला नं0 7 से 9, पत्थर नं0 112/333 (24) किला नं0 8 से 10, 11/1/.063, 12, न 4.363 हैक्टयर कृषि भूमि वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम से मुश्तरका खाता है। प्रमाणित प्रतिलिपी जमाबंदीयां सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम मि उनकी स्वयं पैदाकर्दा सम्पति न होकर उनके पिता स्व0 सोहन सिंह से प्राप्त विरास्तन है, चूंकि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित कुल भूमि विरास्तन सम्पति होने के कारण भूमि के सम्बन्ध में पक्षकारान के मध्य माननीय न्यायालय के समक्ष एक वाद बअनवानी कौर आदि बनाम गुरदत सिंह आदि वाद-पत्र संख्या 348/2021 चला जिसमें माननीय य द्वारा बाद सुनवाई प्रश्नगत् भूमि को विरास्तन सम्पति होना मानते हुए उक्त भूमि में से 0 22 के एस पी के प0नं0 111/334 (26) किला नं0 3/1/.114, 3/2/.012, 4/1/. 4/2/.025, 7/.253, 8/.127, 14/2/.063 कुल .822 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर न भूमि इस वाद के तरतीबी प्रतिवादी संख्या 8 व 9 को दी गई व शेष भूमि वादी व ी संख्या 1 से 5 को प्राप्त हुई। प्रमाणित प्रतिलिपी निर्णय सलंग्न वाद-पत्र है।

यह कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि विरास्तन सम्पति है व उक्त विरास्तन में प्रतिवादी संख्या 3 से 5 को मिलने वाला अपना हक विरास्तन वादी व प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर हक त्याग किया हुआ है इस प्रकार वाद-पत्र की चरण संख्या वर्णित भूमि में से वाद-पत्र की चरण संख्या 3 में वर्णितानुसार चक नं0 22 के एस पी के 111/334 (26) किला नं0 3/1/.114, 3/2/.012, 4/1/.228, 4/2/.025, 7/.253, 27, 14/2/.063 कुल .822 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन भूमि की भूमि को छोडकर समस्त भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार काश्तकार वादी इस आश्य की घोषणा पाने का अधिकारी व दावेदार हैं।

यह कि वादी व प्रतिवादीगण ने अच्छी मंदी व किस्म कीमत के लिहाज से व रास्ता खाला ुविधा को ध्यान में रखते हुए अर्सा दराज पूर्व वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का रू बंटवारा किया हुआ है व घराघरू बंटवारानुसार चक नं0 1 ए आर डब्लयु जमाबन्दी सम्वत् 6-79 के खाता संख्या 60/40 में वर्णित कुल 2.288 हैक्टयर कृषि भूमि के वादी व ादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के व चक 25 के एस पी के जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 संख्या 104/91 में दर्ज कुल कुल 3.036 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी अकेला तथा इसी चक 22 के एस पी जमाबंदी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 97/61 में दर्ज कुल 4. हैक्टयर कृषि भूमि में वादी कुल 1.012 हैक्टयर, प्रतिवादी संख्या 1 कुल 1.012 हैक्टयर प्रतिवादी संख्या 2 नसीबकौर 1.457 हैक्टयर तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 शेष चक 22 के ी के प0नं0 111/334 (26) किला नं0 3/1/.114, 3/2/.012, 4/1/.228, 4/2/.025,

4

3, 8/.127, 14/2/.063 कुल .822 हैक्टयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है व इसी घराघरू अनुसार ही पक्षकारान काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं लेकिन उक्त भूमि राजस्व अभिलेख शामलात का दर्ज होने से उक्त आराजी के सींव वट व नहरी पानी के उपयोग व उपभोग बाबत विवाद रहता है जिससे वादी व प्रतिवादीगण उक्त वर्णित घराघरू बंट्वारानुसार उक्त भूमि का राजस्व अभिलेख में अलग-अलग खाता व रकम कायम करवाना चाहता हैं जिसका कि वादी अधिकारी व हकदार है।

यह कि वादी ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वे प्रश्नगत् भूमि का घराघरू बंटवारा अनुसार राजस्व अभिलेख में दर्ज करवाने में सहमति दे देवे तो वे टाल मटोल करते रहे व अंत में गत् सप्ताह मुकाम अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ में स्पष्ट इन्कार हो गये यही कारण वाद है।

यह कि वाद-पत्र वादी बाबत इस्तकरारहक व तकसीम खाता का है। प्रश्नगत भूमि माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में स्थित है। अतः यह वाद-पत्र माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व अधिकार का है, जो 2/- रूपये के न्यायशुल्क पर अन्दर मियाद प्रस्तुत है।

अतः वाद वादी प्रस्तुत कर अर्ज है कि वाद वादी विरूद्ध प्रतिवादीगण निम्न प्रकार डिक्री की जावेः-

क) कि घोषणा फरमाई जावे कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि में से चक 22 केएसपी खाता संख्या 97/61 में दर्ज कुल 4.363 हैक्टेयर भूमि में वादी संख्या 8 व 9 कुल .822 हैक्टयर भूमि के व शेष समस्त भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार है।

ख) कि वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में वर्णित भूमि का वाद-पत्र की चरण संख्या 5 में वर्णितानुसार खाता विभाजन कर चक 1 एआरडब्लयु जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 40/40 में वर्णित कुल 2.288 हैक्टयर कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर व चक 25 के एसपीके जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 104/91 में दर्ज कुल कुल 3.036 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी अकेला तथा इसी प्रकार चक 22 केएसपी जमाबंदी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 97/61 में दर्ज कुल 4.363 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी कुल 1.012 हैक्टयर, प्रतिवादी संख्या 1 कुल 1.012 हैक्टयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 नसीबकौर 1.517 हैक्टयर तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 शेष चक 22 केएसपी प0नं0 111/334 (26) किला नं0 3/1/.114, 3/2/.012, 4/1/.228, 4/2/.025, 7/.253, 8/.127, 14/2/.063 कुल .822 हैक्टयर कृषि भूमि का अलग-अलग खाता व रकम किया जाकर राजस्व अभिलेख में अमल दरामद किया जावे।

» वाद-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया तलबी प्रतिवादी जारी की गई। प्रतिवादी सं. 1 ता 5 की ओर से अधिवक्ता मदन मूण्ड उपस्थित व वादी एंव प्रतिवादी सं. 2 ता 5 द्वारा न्यायालय में राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक शामिल पत्रावली किया गया। प्रतिवादी सं. 1 द्वारा जवाब इकबालदावा पेश किया गया। राजीनामा अनुसार वाद-पत्र की चरण संख्या 2 में दर्ज वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 के नाम दर्ज भूमि जरिये राजीनामा पैतृक भूमि होना स्वीकार करते हैं व चक 22 केएसपी खाता संख्या 97/61 में दर्ज कुल 4.363 हैक्टयर भूमि में से प्रतिवादी संख्या 8 व 9 चक 22 केएसपी के प.न. 111/334 (26) किला नं0 3/1/.114, 3/2/.012, 4/1/.228, 4/2/.025, 7/.253, 8/.127, 14/2/.063 कुल 0.822 हैक्टयर कृषि भूमि मय गैर मुमकिन भूमि के व शेष समस्त भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 5 न्यायालय द्वारा जारी डिक्री के अनुसारे हकदार खातेदार है, लेकिन प्रतिवादी संख्या 3 से 5 ने अपना मिलने वाला हक बहक़ वादी व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के पक्ष में बहिस्सा बराबर परित्याग किया हुआ है इस

वादी संख्या 8 व 9 को प्राप्त 0.822 हैक्टयर भूमि को छोडकर समस्त भूमि के वादी व
ख्या 1 व 2 बहिस्सा बराबर के हकदार खातेदार है व पक्षकारान ने वाद-पत्र की चरण
में वर्णितानुसार खाता विभाजन किया हुआ है व उक्त खाता विभाजन अनुसार चक 1
जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 60/40 में वर्णित कुल 2.288 हैक्टयर
के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर व चक 25 केएसपी के जमाबन्दी सम्वत्
खाता संख्या 104/91 में दर्ज कुल कुल 3.036 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी अकेला
प्रकार चक 22 केएसपी जमाबंदी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 97/61 में दर्ज
63 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी कुल 1.012 हैक्टयर, प्रतिवादी संख्या 1 कुल 1.012
था प्रतिवादी संख्या 2 नसीबकौर 1.517 हैक्टयर तथा प्रतिवादी संख्या 8 व 9 शेष चक
एसपी प0नं0 111/334 (26) किला नं0 3/1/.114, 3/2/.012, 4/1/.228, 4/2/.
/.253, 8/.127, 14/2/.063 कुल 0.822 हैक्टयर कृषि भूमि प्राप्त हुई है व इसी
पक्षकारान का अलग-अलग खाता व रकम किया जावे तो पक्षकारान को कोई आपति नही
पत्र कोई विरोध नहीं होने के कारण तनकीयत कायम नहीं की गई। पत्रावली का
किया गया व बहस उभयपक्ष सुनी गई। दौराने बहस उभयपक्ष ने मुताबिक सहमति व
के दावा डिक्री किए जाने का निवेदन किया। उपलब्ध दस्तावेजों व सहमति के आधार पर
स्वीकार कर डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

-:क्रियात्मक आदेश:-

तः वाद वादी निर्णित किया जाता है व घोषणा की जाती है कि:- चक 1 एआरडब्लयु
सम्वत् 2076-79 के खाता संख्या 60/40 में वर्णित कुल 2.288 हैक्टयर कृषि भूमि
व प्रतिवादी संख्या 1 बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चक 25 केएसपी के
सम्वत् 2075-78 खाता संख्या 104/91 में दर्ज कुल कुल 3.036 हैक्टयर कृषि भूमि
अकेला खातेदार काश्तकार है। तथा इसी प्रकार चक 22 केएसपी जमाबंदी सम्वत्
80 के खाता संख्या 97/61 में दर्ज कुल 4.363 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी कुल 1.
क्टयर, प्रतिवादी संख्या 1 कुल 1.012 हैक्टयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 नसीबकौर 1.517
का खातेदार काश्तकार है शेष भूमि चक 22 केएसपी प.न. 111/334 (26) किला नं0
14, 3/2/.012, 4/1/.228, 4/2/.025, 7/.253, 8/.127, 14/2/.063 कुल 0.822
कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या 8 व 9 खातेदार काश्तकार है इसी अनुसार घोषणा की
खाता अलग व रकमराज अलग कायम किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी हो।
दार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई स्थगन/न्यायिक विवाद आदि नहीं
घोषित खातेदार काश्तकार की कब्जाकाश्त हो तो, उक्त आदेशानुसार राजस्व रिकॉर्ड में
रामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु./गैर खातेदारी/आराजीराज आदि)
र यथावत् रखी जावे। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे। पत्रावली फैसल शुमार
म्बर से कम की जाकर दाखिल दफ्तर की जाती है। राजीनामा निर्णय का अभिन्न अंग रहे।

निर्णय आज दिनांक 29.12.2025 को मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय मुद्रा से
या जाकर, सरे इजलास सुनाया गया।

रकबा रहन हो तो बाद रहन के निर्णय की पालना की जावें।

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ

6

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई

अ. आदेश 20 नियम 6-7 व्या.प्रक्रियां संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, हनुमानगढ

अधिकारीः- **(मांगी लाल)** RAS

क्याः- 494/2025

गुरमीत सिंह पुत्र स्व. सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

-:वादी

बनाम्

गुरदितासिंह पुत्र स्व0 सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

नसीबकौर पत्नी स्व0 सोहन सिंह जाति जटसिख निवासी चक 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ़ (राज0)

हरअंत कौर पुत्री स्व0 सोहन सिंह पत्नी नाजमसिंह जाति जटसिख निवासी सिहंपुरा तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ (राज0)

सुखजीतकौर पुत्री स्व0 सोहन सिंह पत्नी सरदूल सिंह जाति जटसिख नि. मोहर सिंह की ढाणी, रेलवे कालोनी, चक 2 एस एस डब्लयु झाम्बर तह0हनुमानगढ

सुखवीरकौर पुत्री स्व0 सोहन सिंह पत्नी गमदूरसिंह जाति जटसिख निवासी मोहरसिंह की ढाणी चक 2 एस एस डब्लयु झाम्बर तह0 हनुमानगढ

तहसीलदार (राजस्व) हनुमानगढ़

एचडीएफ़सी बैंक लिमिटेड, शाखा हनुमानगढ टाउन जरिये शाखा प्रबन्धक

-:प्रतिवादीगण

अर्शदीप कौर पुत्री गुरदिता सिंह बउम्र 13 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता लखवीरकौर पत्नी गुरदिता सिंह जाति जटसिख निवासी 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

अनुर पुत्री गुरदिता सिंह बउम्र 11 साल नाबालिग जरिये कुदरती बली माता लखवीरकौर पत्नी गुरदिता सिंह जाति जटसिख निवासी 22 केएसपी अराईयावाली तहसील व जिला हनुमानगढ (राज0)

-:तरतीबी प्रतिवादीगण

वादपत्र अन्तर्गत धाराः- 88, 53 आर.टी.ए.

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ मांगी लाल आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई हमारे बहाजरी श्री रामकुमार कस्वां वकील वादी मिन जामिन मुदई श्री मदन मूण्ड वकील वादी सं. 1 ता 5 व राजपैरोकार मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व ना की जाकर डिक्री दी जाती है किः- चक 1 एआरडब्लयु जमाबन्दी सम्वत् 2076-79 के ता संख्या 60/40 में वर्णित कुल 2.288 हैक्टयर कृषि भूमि के वादी व प्रतिवादी संख्या 1 सा बराबर के खातेदार काश्तकार है। चक 25 केएसपी के जमाबन्दी सम्वत् 2075-78 खाता ना 104/91 में दर्ज कुल कुल 3.036 हैक्टयर कृषि भूमि का वादी अकेला खातेदार काश्तकार तथा इसी प्रकार चक 22 केएसपी जमाबंदी सम्वत् 2077-80 के खाता संख्या 97/61 में कुल 4.363 हैक्टयर कृषि भूमि में वादी कुल 1.012 हैक्टयर, प्रतिवादी संख्या 1 कुल 1.2 हैक्टयर तथा प्रतिवादी संख्या 2 नसीबकौर 1.517 हैक्टयर का खातेदार काश्तकार है शेष

7

2 केएसपी प.न. 111/334 (26) किला नं0 3/1/.114, 3/2/.012, 4/1/.228, 7/.253, 8/.127, 14/2/.063 कुल 0.822 हैक्टयर कृषि भूमि के प्रतिवादी संख्या तेदार काश्तकार है इसी अनुसार घोषणा की जाकर खाता अलग व रकमराज अलग जाता है। तहसीलदार हनुमानगढ को आदेशित किया जाता है कि यदि कोई क विवाद आदि नहीं हो व घोषित खातेदार काश्तकार का कब्जाकाश्त हो तो, उक्त राजस्व रिकॉर्ड में अमलदरामदगी की जावे। भूमि की किस्म (यथा नहरी/बारानी/गै.मु. री/आराजीराज आदि) पूर्वानुसार यथावत रखी जावे।। राजीनामा डिक्री का अभिन्न अंग

XXX नल XXX मुब्लिक XXX निल XXX बाबत् XXX निल XXX खर्चा मुकदमें के मय शूद वा सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तारीख तक XXX अदा करें।

मेरे दस्तखत एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 29.12.2025 को जारी किया

(मांगी लाल) RAS
सहायक कलक्टर
एवं उपखण्ड अधिकारी
हनुमानगढ